न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 65/2025 दायर दिनांकः 17.07.2025

उनवान

1. श्याम कुमार शर्मा आयु 69 वर्ष पुत्र बृजमोहन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बारां जिला बारां (राज०) मो.नं. 9414488547, 9887052251

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 16.10.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल हरनावदा पटवार क्षेत्र ढोटी तहसील अटरू की खाता संख्या 138 के ख0नं0 66/590 रकबा 3.29 है०, ख0नं0 91/597 रकबा 0.04 है0 किता 2 रकबा 3.33 है० आराजी प्रार्थी के खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी का गलत नाम श्यामसुन्दर पुत्र बृजमोहन दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे प्रार्थी का नाम श्यामसुन्दर पुत्र बृजमोहन दर्ज है जो प्रार्थी का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम श्याम कुमार शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा हैं। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा अन्य दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम श्याम कुमार शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न हैं। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन भिन्न नाम होने से प्रार्थी को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम श्यामसुन्दर पुत्र बृजमोहन के स्थान पर श्याम कुमार शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना न्यायलय की सहायता के नही

करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रथम बार दिनांक 15.06.2025 को प्रार्थिया द्वारा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा प्रार्थी द्वारा कई बार अप्रार्थी से नाम दुरुश्त करने का निवेदन के बावजूद भी नही करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम श्यामसुन्दर पुत्र बृजमोहन के स्थान पर श्याम कुमार शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ग्राम हरनावदा की खाता संख्या 138 किता 2 कुल रकबा 3.33 है0 में अपना नाम श्यामसुन्दर के स्थान पर श्याम कुमार शर्मा करवाना चाहता है। अतः रिकार्ड, साक्ष्य एवं सहखातेदारान की सहमति तथा उर्फ लगाते हुए नाम दुरूस्त करने पर अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र Pw1 श्याम कुमार शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी बारां व Pw2 बद्रीलाल पुत्र कृष्णगोपाल जाति मीणा निवासी बराना तहसील बारां के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल हरनावदा पटवार हल्का ढोटी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 138, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वार्ड पार्षद वार्ड नं0 26 नगर परिषद बारां प्रमाण पत्र व जवाब अप्रार्थी का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर ग्राम एवं माल हरनावदा पटवार हल्का ढोटी तहसील अटरू की खाता संख्या 138 के ख0नं0 66/590 रकबा 3.29 है0 व ख0नं0 91/597 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.33 है0 आराजी में खातेदार श्यामसुन्दर पुत्र बृजमोहन

के स्थान पर श्याम कुमार शर्मा उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र बृजमोहन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल हरनावदा पटवार हल्का ढोटी तहसील अटरू की खाता संख्या 138 के ख0नं0 66/590 रकबा 3.29 है0 व ख0नं0 91/597 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.33 है0 आराजी में खातेदार श्यामसुन्दर पुत्र बृजमोहन के स्थान पर श्याम कुमार शर्मा उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र बृजमोहन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बारां को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां